# मैनुअल-6

धारा 4(1)ख (vi)- इस संगठन के नियंत्रणाधीन या धारण किए गए विभिन्न वर्ग के दस्तावेजों का विवरण

इस संगठण द्वारा धारण किए गए दस्तावेज

| क्र. सं. | वर्ग | दस्तावेज का विषय |
|---|---|---|
| 1. | वस्त्र उद्योग का विकास | **प्रौद्योगिकी उन्नयन विधि योजना (टफ्स):-**<br>**क.** इस योजना के अर्न्तगत, भारत सरकार वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से वस्त्रोद्योग द्वारा बेंचमार्कड मशीनरी के किए गए पात्र निवेश पर 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति करती है ।<br>**ख.** विद्युत करघा उद्योग के लिए 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के एवज में 20% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी : इस योजना के अर्न्तगत भारत सरकार बेंचमार्कड विद्युत करघा में निवेश पर 20% पूंजीगत सहायिकी [कैपिटल सब्सिडी] प्रदान करती है । प्रति लघु इकाई उद्योग के लिए 20 लाख सब्सिडी राशि की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है ।<br>**(ग)** विनिर्दिष्ट आधुनिक वस्त्र संसाधन मशीनरी में निवेश हेतु 10%पूंजीगत सहायिकी [कैपिटल सब्सिडी ] जो कि तकनीकी उन्नयन निधि योजना में 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त प्रदान की जाएगी। |
| 2. | | **वस्त्र केन्द्र आधारिक संरचना विकास योजना : -**<br>इस योजना के अर्न्तगत भारत सरकार में पहचान किए गए वस्त्र केन्द्रों आधारिक संरचना जैसे कि सड़कों का निर्माण, परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सामूहिक निस्सारण उपचार संयंत्र सुविधाएं, प्रदर्शनी विपणनन हाल, पावर सप्लाई का सुदृढ़ीकरण, जल आपूर्ति और मैल निकासी, दूर |

संचार नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाएं, डिजाइन केन्द्रों की स्थापना,वेयरहाउसिंग सुविधाओं में सुधार, बंदरगाह और हवाई अड्डोंवक वस्तुओं के संचलन की सुविधाओं में सुधार, अन्तः स्थलीय कन्टेनर डिपो, एयर कार्गो काम्पलेक्स आदि, परिवहन सुविधाओं का सर्वधन, विशेष रूप से डिकन्जेशन के लिए, मानव संसाधन में सुधार हेतु सुविधाएं और वस्तु परिधान इकाईयों के लिए शिशुसदन बिल्डिंग के लिए 20 करोड़ सहायिकी/निधियन राशि उद्दिष्ट की है ।

**निर्यात हेतु एपेरल पार्क :-** इस योजना के अर्न्तगत भारत सरकार प्रत्येक पहचान किए गए निर्यात एपेरल पार्क के लिए अधिकतम 17 करोड़ अनुदान राशि प्रदान करती है, जिससे क एपेरल सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिल सके और अंतर राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के एपेरल निर्माण इकाइयों की स्थापना के केन्द्रीभूत दिया जा सके ।

# <u>ग्रुप वर्कशेड योजना</u>

विकेन्द्रित पावरलूम बुनाई उद्योग की ग्रुपवर्कशेड योजना के अन्तर्गत भारत सरकार वर्कशेड के निर्माण हेतु इसके वर्कशेड को अधिकतम रू. 80 प्रति स्कवेयर फीट के आधार पर निर्माण लागत का 25% तक राशि की सब्सिडी प्रदान करती है । अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी प्रति लाभार्थी रू. 11.52 लाख है जिससे कि 14,400 स्कवेयर फीट क्षेत्रफल क्वर हो सके ।

| | | |
|---|---|---|
| 2. | पावरलूम उद्योग का विकास | टफ्स , टी सी आई डी एस, जी डब्लयू एस एस- ब्योरे उपरोक्तानुसार |
| 3. | वस्त्रोद्योग से संबंधित:-कारागारों का समाज कल्याण | सामूहिक बीमा योजना-- पावरलूम वर्करस के लिए (जी आई एस) सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दो-पृथक घटक है (जे बी वाई) और एड ऑन जी आई एस । जी बी बाई के अन्तर्गत 200 रू. के कुल प्रीमियत के लिए 100 रू. जीवन बीमा निगम द्वारा दिया जाएगा । भारत सरकार 60 रू. का भुगतान करेगी एवं लाभार्थी का योयगदान कुल प्रीमियम में 40 रू. रहेगा । जी बी वाई योजना के अन्तर्गत क्वरेज लाभ स्वाभाविक मृत्यु के लिए 20,000 रू., आकास्मिक मृत्यु के लिए 50000 रू. स्थायी अपंगता रू. 50000 और आंशिक स्थायी अपंगता के लिए 25000 रू हैं,जिसे मामले के अनुरूप निर्धारण किया जाता है ।<br>एड ऑन सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 180 रू. प्रीमियम में से, 90रू. का योगदान भारत सरकार का और लाभार्थी द्वारा शेष 90 रू का भुगतान किया जाएगा । एजी आई एस योजना के अन्तर्गत क्वरेज लाभ स्वाभाविक मृत्यु या आकास्मिक मृत्यु के लिए 30000 रू है ।<br>उपरोक्त के अतिरिक्त जी बाई वाई के अन्तर्गत प्रत्येक कामगार के 9वीं से 12वीं कक्षा के पढ़ने वाले दो बच्चों की जीवन बीमा निगम की शिक्षा सहयोग योजना के तहत प्रत्येक बच्चें हेतु प्रत्येक तिमाही में 300/-रू. शैक्षिक अनुदान के हकदार होंगे । पावरलूम के कामगार और स्व-रोजगार |

बुनाई कामगार जिनकी पावरलूम 4 से अधिक न हो व जिनकी आय गरीबी-रेखा से नीचे हो या गरीबी रेखा के हाशिए पर हों, इन कामगारों के 18-19 आयु-वर्ग के बच्चों को योजना के अन्तर्गत पास माना जाएगा । इस योजना के अन्तर्गत परिवार के दायरे में कामगार और उसका /उसकी पत्नी या पति शामिल हैं । और इन दोनों में से केवल एक व्यक्ति को योजना के अन्तर्गत बीमा सुरक्षा कवच दिया जाएगा ।

**<u>वस्त्र कामगार पुनर्वसन निधि योजना :-</u>** वस्त्र कामगार पुनर्वसन निधि योजना के अन्तर्गत प्राइवेट सेक्टर के स्थायी रूप से बंद पड़ी/परिसमापन हुई वस्त्र इकाइयों की राहत प्रदान की जाती है । यह योजना औद्योगिकर विकास और विनियम, अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त या वस्त्र आयुक्त द्वारा मध्यम स्केल यूनिट के रूप में पंजीकृत इकाइयों पर लागू होती है । इकाइयों संपूर्णत: बन्द होनी चाहिए, यानि इसकी उत्पादन-प्रक्रिया 5.6.85 के बाद पूर्णत: ठप हो गई होनी चाहिए ।इसके अतिरिक्त ऐसे यूनिट को उद्योग विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (0) के अन्तर्गत बंद यूनिट घोषित होने चाहिए या विकल्पत: कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यूनिट के समापन हेतु सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया होना चाहिए । वस्त्र कामगार पुर्नवसन निधि योजना भी आंशिक रूप से बंद पड़ी इकाइयों के लिए मामले के आधार पर लागू योजना के अधीन पात्र कामगार निम्नलिखित दर पर राहत के भुगतान के हकदार होंगे :

(क) यूनिट के पहले वर्ष में पड़ने की अवधि में 75% मजदूरी के समतुल्य राशि

(ख) दूसरे वर्ष में मजदूरी की 50% समतुल्य राशि

(ग) तीसरे वर्ष में मजदूरी की 25% समतुल्य राशि

| | | |
|---|---|---|
| 4. | सांख्यिकी आंकड़े | कांटन जिनिंग और प्रेसिंग अधिसूचना, वस्त्र सांख्यिकी विवरणी अधिसूचना दिनांक 26.12.95, वस्त्र सांख्यिकी का सार-संग्रह-2004 (किताब के रूप में उपलब्ध है ) और अंर्तराष्ट्रीय वस्त्र सांख्यिकी-2004 (किताब की रूप में उपलब्ध है ) |
| 5. | विनायमक | 1. वस्त्र (विकास और विनियम) आदेश, 2001, वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनिवार्य पर्व्य अधिनियम, 1955, की धारा 3 के द्वारा जारी आदेश जिससे  वस्त्र उद्योग द्वारा सूचना के प्रेषण किया जा सके, वस्त्रों के उत्पादन और आपूर्ति का विनियामित किया जा सके और वस्त्र पर मार्किंग निर्धारित की जा सके ।<br>2. हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना 2003- इस अधिसूचना के अर्न्तगत यार्न के प्रत्येक उत्पादक सिविल खपत के लिए पैक किए गए कम से कम 40%, यार्न की पैकिंग प्रत्येक तिमाही के लिए हैंक (अट्टियों) के रूप में करेगा । हैंक रूप में पैक किए गए यार्न का 80% की संख्या 40 या इससे कम होनी चाहिए । अगर यार्न का उत्पादक इसकी पैकिंग हैंक रूप में करने में असमर्थ हो तो अपने दायित्व को अन्य उत्पादक को सौंप कर कार्य संपादित करेगा अन्यथा स्वतंत्र शीलिंग इकाइयों के धारक उत्पादक / या शीलिंग सुविधा मुक्त उत्पादक से यार्न को हैंक रूप में रील करवाएगा ।<br>3. वस्त्र (उपभोक्ता सुरक्षा) विनियम 1988- इस अधिसूचना के अर्न्तगत कांटन यार्न, कांटन क्लोथ और वूलन क्लोथ या उनके पैकेज/ बेलों पर की जाने के लिए सांविधिक मार्किंग निर्धारित की गई है जिससे वस्त्रों के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जा |

सके ।

4. कांटन (नियंत्रण) आदेश, 1986, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अर्न्तगत वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों द्वारा कांटन के स्टांक के नियंत्रण, कांटन वेल की पैंकिंग का तरीका और सूचना एकत्रित करने का प्रावधान किया गया है ।